स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीलिम्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

फसल बीमा योजना

➢ **हालिया संदर्भ :**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 Jan 2025 को दो फसल बीमा योजनाओं को 2025–26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
- ** इसके अलावा 824.72 करोड़ रुपए के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के निर्माण की भी मंजूरी दी गई है।
- ** इन फसल बीमा योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) शामिल है।

➢ **बीमा योजना :**

- ** वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को प्रतिस्थापित करने के लिए PMFBY को लांच किया गया था।
- *** यह 'एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम' के दृष्टिकोण पर आधारित है।
- ** यह योजना अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी प्रकार के किसानों के लिए लागू है।
- पूर्व में यह योजना सिर्फ ऋणी किसानों के लिए सीमित था, लेकिन 2020 में इसे सभी प्रकार के किसानों के लिए विस्तारित कर दिया गया।

➢ प्रीमियम राशि :

- *** इस योजना के तहत किसानों को खरीफ खाद्यान्न एवं तिलहनी फसलों के लिए बीमित राशि या एक्चुरियल दर का 2% या जो भी कम हो तथा रबी खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि या एक्चुरियल राशि का 1.5% या जो भी कम हो, प्रीमियम के रूप में भुगतान करना पड़ता है।
- ** बागवानी फसलों के प्रीमियम बीमित राशि के 5% के बराबर है।

Note :– एक्चुरियल दर, भविष्य में होने वाले नुकसानों का अनुमान है।

➢ सब्सिडी का प्रावधान :

- पूर्व में एक्चुरियल प्रीमियम दर एवं किसानों द्वारा देय बीमा प्रीमियम दर के बीच का अंतर, जिसे सामान्य प्रीमियम सब्सिडी कहा जाता है, राज्य एवं केंद्र द्वारा बराबर रूप से साझा किया जाता था लेकिन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस बीमा से ज्यादा भी सब्सिडी देने के लिए स्वतंत्र है।
- फरवरी 2020 में केंद्र ने अपनी प्रीमियम सब्सिडी को असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% तक सीमित कर दिया है, हालांकि पूर्व में इसकी कोई सीमा नहीं थी।
  Note :– PMFBY एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsered SCHEME–CSS) है।

➢ ** विशिष्टता :

- PMFBY उत्पादन पर आधारित है जबकि RWBCIS अनुमानों पर आधारित है।
- RWBCIS के तहत बीमित किसानों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।
- ये दोनों योजनाएं किसानों को अत्यधिक वर्षा, हवा, तापमान, सूखे सहित प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों, जो रोकने–योग्य न हो (Non–Preventable) के खिलाफ सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है।

➢ FIAT :

- इसका उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उपज अनुमान प्रणाली (YES–TECH) एवं मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा।
- YES–TECH प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग करता है।
- YES–TECH वर्तमान में केवल 9 राज्यों–आंध्र प्रदेश, हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में लागू है।
- WINDS में ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र (AWS) एवं पंचायत स्तर पर स्वचालित रेन गेज (ARG) स्थापित करने की कल्पना की गई है।

- WINDS के तहत हाइपर–लोकल मौसम डेटा विकसित करने के लिए नेटवर्क घनत्व में 5 गुना वृद्धि करने की प्लानिंग किया जा रहा है।

➢ *** केंद्र प्रायोजित योजनाएं :

- ऐसी योजनाएं केंद्र द्वारा शुरू की जाती है लेकिन इसका क्रियान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।
- ऐसे योजनाओं में वित्त का प्रबंधन केंद्र एवं राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- इस प्रकार की योजनाओं के लिए केंद्र एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच धनराशि का बंटवारा 50:50 या 60:40 या 70:30 या 75:25 के अनुपात में हो सकता है।

Note :– जिन राज्यों को 'विशेष राज्य' का दर्जा प्राप्त है एवं सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 का होता है।

- इन राज्यों में सभी पूर्वोत्तर राज्य (नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख शामिल है।
- Note :– सर्वप्रथम 1969 में जम्मू–कश्मीर, असम एवं नागालैंड को 'विशेष राज्य' का दर्जा प्रदान किया गया था।
- CSS में शामिल कुछ प्रमुख योजनाओं में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि शामिल है।

➢ *** केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं (Central Sector Scheme) :

- ऐसी योजनाएं केंद्र द्वारा शुरू की जाती है, राज्यों में क्रियान्वित भी की जाती है तथा 100% वित्त पोषण भी किया जाता है।
- ऐसी योजनाएं सामान्यत: संविधान में उल्लेखित संघ सूची (Union List) में शामिल विषयों से संबंधित होते हैं।
- इन योजनाओं में मूलत: उज्ज्वला योजना (गरीबों को LPG कनेक्शन) एवं नमामि गंगे–राष्ट्रीय गंगा योजना शामिल है।

➢ DAP :

- केंद्र ने डाइ–अमोनियम फास्फेट (DAP) पर प्रति टन 3,500 रुपए की सब्सिडी को 31 दिसंबर 2025 तक यानि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
- *** DAP में 46% फास्फोरस होता है। यह एक प्रमुख पोषक तत्व है, जिसकी जरूरत फसलों की जड़–स्थापना एवं विकास के शुरुआती चरणों में होता है।
- किसान इसका प्रयोग बुवाई के दौरान ही करते हैं।

- *** भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित नैनो DAP तरल (Liquid) रूप में आता है, जिसे प्रबंधित करना आसान होता है तथा कम लागत वाला होता है।
- IFCO में नैनो तरल यूरिया की शुरुआत 2021 में की थी, जिसकी सफलता को देखते हुए 2023 में नैनो तरल DAP को भी लॉन्च किया।
- वर्तमान में DAP का अधिकांश हिस्सा आयात से पूर्ति की जाती है, जिस पर निर्भरता सीमित करने के लिए IFCO का प्रयास सराहनीय है।

MCQ–1 : निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन के आधार पर विकल्प का चयन करें–

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केवल रबी फसलों के लिए बीमा कराए जाने का प्रावधान है।
2. भारत डाइ–अमोनियम फास्फेट (DAP) के मामले में पूर्णत: आत्मनिर्भर है।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी प्रकार के किसान पात्रता रखते हैं।
4. फास्फोरस का इस्तेमाल मुख्यतः फसल के शुरुआती चरणों में किया जाता है।

a) केवल 2, 3 एवं 4
b) केवल 3 एवं 4
c) केवल 1 एवं 3
d) केवल 1, 2 एवं 4

Ans.– (b)

Mains–1 : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि बीमा योजनाओं के मात्र से कृषि–उत्पादन में वृद्धि जटिल परिस्थितियों को जन्म दे सकती है।

हम आपको रिजल्ट देने आये हैं.
Result Mitra
1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.
2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹
3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹
4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹
5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹
कोर्स या Test Series के लिए
WhatssApp कीजिये
9235313184, 9235446806